(61)
09.09.24
(48)
(5)
23/12/24

2024/113

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

जगदीश बनाम रायसाहब वगैरा व स्टेट

अपील प्रकरण सं030 / 2024

अधिवक्ता अपीलार्थी :— दलबारा सिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्टः— प्रदीप सिहाग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
10.07.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये केवियट प्रार्थना पत्र उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा अपने अनवानी रायसाहब वगैरा बनाम जगदीश निर्णय दिनांक 15.05.2024 द्वारा चक 47 एलएनपी सैकिण्ड के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 3/3,8/2, 13/2,18/2, 23/2 एवं मुं. नं.16 के किला नम्बर 3/2, 8/1 के मध्य से उत्तर से दक्षिण एवं मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 6/1, 7/2 व 8/1 में दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व की ओर जाता हुआ रास्ता में कोई दखलअन्दाजी न करें , जो आदेश एक पक्षीय तौर पर जारी किया गया था जिस अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के आदेश दिनांक 15.05.2024 को स्थगित करवाया जाकर आगामी तारीख पेशी 24.07.2024 को वास्तु सुनवाई निश्चित थी परन्तु इसी दौरान तहसीलदार एवं सरपंच द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिय अपनाये हुए अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता निकालने का उक्त आदेश दिनांक 18.06.2024 को पारित कर लिया जबकि किसी उच्च न्यायलय में कार्यवाही विचाराधीन होते हुए अधीनस्थ न्यायालय रास्ता खुलवाने का आदेश पारित नहीं कर सकता एव ना ही सरपंच ग्राम पंचायत को कृषि भूमि में किसी प्रकार का रास्ता खुलवाये जाने जरिये पुलिस जाप्ता अधिकार है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा जिस रास्ता को खुलवाये जाने का आदेश दिनांक 18.06.2024 को जो पारित किया वह भी नियमों के विरुद्व पारित किया गया है क्योंकि प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की ढाणी मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 23 में बनी होने के कारण किला नम्बर 23 तक के लिए ही जाता है आगे कोई भी रास्ता कभी नहीं रहा है और ना ही कोई रास्ता स्वीकृतशुद्वा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ता बताकर मिली भगत करके आदेश पारित करवाया गया है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2024 की कियान्विति स्थगित रखी जाने का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के प्रकरण अनवानी प्रकरण रायसाहब वगैरा बनाम जगदीश आदि निर्णय दिनांक 15.05.2024 जो पारित किया गया वह 251ए के तहत पारित किया गया था जिसकी कियान्वित राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.06. 2024 द्वारा स्थगित की गई है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र कमांकःराम/भू.अ. /जी-3/प-174/4118-4149 दिनांक 11.06.1999 एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की 251 आरटीए (सुखाचार) के तहत रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिनांक 18.06.2024 को पारित किया गया है। धारा 251ए एवं 251 दोनो कार्यवाही अलग-अलग कार्यवाही है। जहां तक ग्राम पंचायत को कृषि भूमि में रास्ता खुलवाये जाने का सम्बन्ध में वह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत ग्राम पंचायत को 45 दिन में रास्ता खुलवाये जाने का क्षेत्राधिकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।	

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

2024

पुनःश्चय पत्रावली पेशी में ली गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कर निवेदन किया कि उपरोक्त शीर्षक की अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जो तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु निश्चित है, उक्त प्रकरण में पक्षकारान का आपसी में राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलांट कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है, इस कारण उपरोक्त शिर्षक की पत्रावली में कार्यवाही समाप्त कर अभिलेखगार में जमा कराने का आदेश दिया जाना न्यायेचित है साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर उक्त अपील में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण एवं पक्षकारान का आपसी में राजीनामा हो जाने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर